

01. 10. 2019 आत्म समर्पित अभियुक्तगण 1. नेयाज अहमद 2. अब्दुल मलीक एवं 3. मो० मोतीन असरफ की ओर से नवीन अधिकार पत्र एवं उपस्थिति पत्र तथा उभय पक्षों के हस्ताक्षरयुक्त संधिपत्र, जमानत आवेदन पत्र एवं सूचक की ओर से नवीन अधिकार पत्र, उपस्थिति पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ अनुमति पत्र दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी को दी गई है।

वादं पुकारा गया, पुकार पर आत्म समर्पित अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थिति हुए। जमानत आवेदन पत्र को प्रचालित करते हुए इनका कथन है कि प्रार्थीगण निर्दोष है इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीगण की ओर से इस जमानत आवेदन पत्र के अलावा न तो विद्वान सत्र न्यायालय में न ही माननीय उच्च न्यायलय में दाखिल किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा 341, 323, 342, 504, 34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। जो सभी जमानतीय प्रकृति के है। उभय पक्षों के बीच संधि हो गया है। प्रार्थीगण अपने सक्षम जमानदारों द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि प्रार्थीगण को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाए।

विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा 341, 323, 342, 504, 34 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है। जो सभी जमानतीय प्रकृति के है। उभय पक्षों के बीच संधि हो गया है। संज्ञान के बाद अभियुक्तगण की प्रथम उपस्थिति है। सूचक भी न्यायालय में उपस्थित है कहते हैं कि जमानत दे दिया जाय। अतएव इनके सक्षम जमानतदारों द्वारा 5000 X2 के समान धन राशि के दो प्रतिभूओं द्वारा बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

न्या० दण्डा० प्र० श्रेणी, पुपरी

01. 10. 2019 उपरोक्त आदेशानुसार आत्म समर्पित अभियुक्तगण के जमानतदारों द्वारा सत्यापित बंधपत्र दाखिल किया गया। जिसे सही वो संतोषप्रद पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

न्या० दण्डा० प्र० श्रेणी, पुपरी